गोकुल नगर कुरूद में खटालों को व्यवस्थापित किया जाएगा

भिलाईनगर। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में संचालित हो रहे खटालों को व्यवस्थित करने के लिए गोकुल नगर कुरूद में व्यवस्थापित किया गया था। गोकुल नगर योजना अंतर्गत ग्राम कुरूद स्थित नजूल भूमि खसरा नंबर 1030 रखवा 13.,12 हेक्टर नगर निगम भिलाई को आवंटित है। उक्त स्थल पर ही शहर में संचालित हो रही 164 पशु मालिकों के खटालों को उनके पशु संख्या के आधार पर ऑफर लेटर देकर के व्यवस्थापित किया गया था। 10 सितंबर 2007 में श्याम बायी एवं अन्य द्वारा 10 सितंबर 2007 को उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका का प्रस्तुत की गई थी। याचिकाकर्ताका कथन था कि उक्त भूखंड पर उनका मालिकानाहक है। जिसमें दिनांक 1.6. 2008 को शासन के पक्ष में यथा स्थिति कायम करने हेतु स्थगन आदेश पारित किया गया था। मतलब खटाल का आवंटन सही था। खटाल संचालित निर्विवाद रूप से हो सकता हो सकता है। पारित आदेश के विरुद्ध याचिका करता श्याम भाई और अन्य द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में सुनवाई याचिका दायर की गई थी। जिसमें दिनांक 12.1.2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दायर याचिका याचिका खारिज कर दिया गया था। नगर निगम भिलाई के कर्मचारी श्याम भाई के पक्ष में स्टे मानकर चल रहे थे। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा इस केस का संज्ञान लिया गया। उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खोजबीन की तो पता चला कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह मुकदमा 12.01.2016 को खारिज कर दिया गया है। नगर निगम भिलाई इसमें 164 खटाल संचालकों को जिनको ऑफर लेटर दिया गया था। उनसे पूरा पैसा जमा करवा कर आगे व्यवस्थापन की प्रक्रिया कर सकता है। आज आयुक्त पाण्डेय, जोन कमिश्नर ऐसा लहरे एवं स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली को लेकर के कुरूद गोकुल नगर का निरीक्षण करने गए। वहां पर देखे खटाल मालिकों द्वारा जमीन पर आवंटन से अधिक कब्जा करके खटाल संचालित किया जा रहा है। उनको नगर निगम भिलाई द्वारा पानी, बिजली, सड़क की सुविधा प्रदान की जा रही है। अभी उनसे किसी भी प्रकार का संपत्ति कर एवं अन्य राजस्व कर नहीं लिया जा रहा है। आयुक्त द्वारा सर्वे करने का आदेश जारी किया गया। दल के सदस्य शरद दुबे प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी, अनिल मिश्रा प्रभारी सहायक जोन स्वास्थ्य अधिकारी, रामवृक्ष यादव अनूरेखक, अंजनी सिंह प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक, प्रश्नाधीन क्षेत्र में आवंटित खटाल संचालकों का सर्वे तीन दिन के अंदर सर्वे करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। दशरथ ध्रुव सहायक अधीक्षक, उन्मेष साहू अनूरेखक, संतोष पांडे प्रभारी लिपिक, कार्यालय व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व विभाग के माध्यम से गोकुल नगर व्यवस्थापन योजना से संबंधित नस्तियों को संधारित करेंगे। गोकुल नगर व्यवस्थापन योजना के अंतर्गत आवश्यक मूलभूत सुविधा पानी, लाइट, सड़क आदि उपलब्ध कराने जाने के संबंध में अर्पित बंजारे उप अभियंता प्राक्कलन एवं प्रस्ताव तैयार कर लोन कार्यालय के माध्यम से आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे। उपरोक्त गठित सर्वे दल द्वारा गोकुल नगर में जाकर के आज से ही सर्वे का काम शुरू कर दिया हैं। किस खटाल मलिक को कितना भूखंड आवंटित किया गया था। उनके द्वारा वर्तमान पर कितने पर कब्जा है। कितने लोग खटाल संचालित कर व्यवसाय रहे हैं। कितने लोग बंद कर दिए हैं। इन सभी बिंदुओं पर सर्वे किया जा रहा है। वहां पर 164 पूर्व के खटाल मालिकों को जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको व्यवस्थापित तो किया जाएगा ही, शेष जो नगर में अवैध रूप से खटाल संचालित कर रहे हैं। उनको भी नियमानुसार व्यवस्थापित किया जाएगा। शासन की योजना अनुसार यह नगर निगम भिलाई का बड़ा कदम होगा। जिससे सफाई व्यवस्था और बेहतर होगी। एक सुंदर व्यवस्थित भिलाई की कल्पना साकार होगी।